



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: roc.lko-mef@nic.in

पत्र सं० 8बी/यू०पी०/०६/१४३/२०२२/एफ.सी. 572

दिनांक: 04.10.2022

सेवा में,

अति० मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ०प्र० शासन, बापू भवन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या--FP/UP/Road/152381/2022

विषय: जनपद आगरा में चंदौसी-आगरा-तांतपुर कोट मार्ग (एस०एच०-३९) के किमी० ०.२३६ के चैनेज २३५.०३० ग्राम रैना नगर, तहसील खेरागढ़ एवं किमी० सं०-२४५ के चैनेज २४४.०१० ग्राम सरेंधी तहसील खेरागढ़ पर निर्माण खण्ड-२ लोक निर्माण विभाग, आगरा द्वारा राज्य सड़क निधि योजना के अन्तर्गत राज्य मार्ग सं०-३९ की बायीं पटरी पर प्रस्तावित दो ट्रक ले बाई निर्माण कार्य हेतु ०.४०८ हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: सचिव(वन), उ०प्र० शासन का पत्रांक २४८५/८१-२-२०२२-८००(१७२)/२०२२, लखनऊ, दिनांक १५.०९.२०२२

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव(वन), उ०प्र० शासन के पत्रांक पी-१८९/८१-२-२०२२-८००(१७२)/२०२२, दिनांक २४.०६.२०२२ का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८० की धारा-२ के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक २०.०७.२०२२ द्वारा प्रकरण में आवश्यक सूचनाएँ मांगी गई थीं, जिसकी अनुपालना के सम्बन्ध में उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रेषित की गई है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्नलिखित बिन्दुओं पर पुनः आवश्यक सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराएँ ताकि प्रकरण में आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके:-

1. The NET Suitable area for plantation as per GIS-DSS analysis is 0.08 ha, which is less than the actual required CA land area.
2. Positional error has been found in the proposed CA land area. This needs rectification.

भवदीया,

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, १७, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, १७, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।
4. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-२ लोक निर्माण विभाग, आगरा।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}